FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत उपजिला कलक्टर मुकाम– मण्ड़ावर (दौसा)

कौरीलाल बनाम राजस्थान सरकार

किस्म मुकदमा –भू0 राजस्व अधि0 1956 की धारा 136 नंबर .... सन................

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.12.2023	कौरीलाल पुत्र रूपनारायण जाति मीना निवासी लोटवाडा तहसील बैजूपाडा जिला दौसा राज.। ––––प्रार्थी / सायल बनाम राजस्थान सरकार लैण्ड होण्डर जरिये तहसीलदा बैजूपाडा ––––अप्रार्थी / गैरसायल प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 भू0रा0 अधिनियम 1956 उपस्थित 1. श्री लक्ष्मीनारायण मीना एडवोकेट– प्रार्थी 2. सरकार पैराकार–नायब तहसीलदार बैजूपाडा निर्णय दिनांक –09.12.2023 आज पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत कैम्प महवा में पेश हुई। प्रार्थी वकील व तहसीलदार बैजूपाडा स्वयं उपस्थित आये। प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर पैरा संख्या 01 में वर्णित (जमाबंदी संवत 2074–77 ग्राम बडाबास व लोटवाडा तहसील बैजूपाडा के खाता संख्या नया क्रमशः 15, 16, 17 व 29) तहसील बैजूपाडा जिला दौसा में स्थित हैं। उक्त भूमि हमारी पैतृक खातेदारी भूमि है । जिसमें प्रार्थी के पिता स्व. रूपनारायण की मृत्यु के बाद सहवन से प्रार्थी का घर बोलता नाम कंवरपाल राजस्व कर्मचारियों ने सहवन से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया गया। जबकि मेरा सही नाम कौरीलाल पुत्र श्री रूपनारायण मीना है जो मेरे अन्य दस्तावेजात आधार कार्ड, बैंक पास बुक, पेनकार्ड, पहचान पत्र , राशन कार्ड में दर्ज है। प्रार्थी को अपने नाम गलत होने की जानकारी सर्व प्रथम अपनी भूमि पर किसान केडिट कार्ड बनवाने के लिए दिनांक 10.07.2023 को भूमि की जमाबंदी रिकॉर्ड आदि की नकल प्राप्त करने कि लिये हल्का पटवारी के पास जाने पर हल्का पटवारी के द्वारा गलत नाम दर्ज होने की जानकारी दी इससे पूर्व प्रार्थी को अपने गलत दर्ज हो रहे नाम की कोई जानकारी नही रही है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के समक्ष दिनांक 10.07.2023 को प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश करने की हिदायत देकर भेज दिया व प्रार्थना पत्र को लेने से इंकार कर दिया व नाम दुरूस्थ नही किया इस कारण प्रार्थी के पास सिवाय प्रार्थना पत्र पेश करने के अलावा अन्य कोई चारा नजर नही आया इस कारण प्रार्थना पेश कर निवेदन है कि भूमि मुतदाविया वर्णित पैरा नं0 1 गलत नाम कंवरपाल पुत्र रूपनारायण को हजफ किया जाकर सही नाम कौरी लाल मीना पुत्र रूपनारायण मीना दर्ज करने हेतु निवेदन किया। सदस्य राष्ट्रीय लोक अदालत महवा (दौसा) अध्यक्ष राष्ट्रीय लोक अदालत महवा (दौसा)	

कौरालाल बनाम राजस्थान सरकार

किस्म मुकदमा –भू0 राजस्व अधि0 1956 की धारा 136 नंबर .....39..... सन...2023.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज कौरीलाल बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी तहसीदार बैजूपाडा की ओर से जवाब इस आशय का पेश किया कि तहसील बैजूपाडा जिला दौसा के ग्राम बडाबास के खाता संख्या 15, 16, 17 एवं ग्राम लोटवाडा के खाता संख्या 29 पर प्रार्थी का नाम कंवरपाल पुत्र रूपनारायण मीना दर्ज रिकॉर्ड है तथा पटवारी मौका रिपोर्ट के अनुसार कौरीलाल पुत्र रूपनारायण एवं कंवरपाल पुत्र रूपनारायण मीना नाम के एक ही व्यक्ति है तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, जनआधार कार्ड में कारीलाल पुत्र रूपनारायण मीना दर्ज है। साथ ही कंवरपाल पुत्र रूपनारायण की जगह कौरीलाल पुत्र रूपनारायण किये जाने की अभिशंषा की गई। हमने उभय पक्ष को सुना । पत्रावली एवं राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया। मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत 2074–77 ग्राम बडाबास व लोटवाडा तहसील बैजूपाडा के खाता संख्या नया कमशः 15, 16, 17 व 29 में प्रार्थी उक्त भूमि में सा.देह खातेदार है। उक्त खातेदारी की भूमि में प्रार्थी का नाम कंवरपाल पुत्र रूपनारायण दर्ज है जबकि प्रार्थी के अन्य दस्तावेजात यथा मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, जनआधार कार्ड आदि में कौरीलाल पुत्र रूपनारायण दर्ज है। तहसीलदार बैजूपाडा ने भी अपने जवाब में राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम कंवरपाल पुत्र रूपनारायण की जगह कौरीलाल पुत्र रूपनारायण दुरस्थ करने की अभिशंषा की है। उक्त त्रुटि एक लिपिकीय त्रुटि है। धारा 136 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में हुई नाम अशुद्धि को शुद्ध किया जा सकता है। अतः राष्टीय लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर प्रार्थी एवं अप्रार्थी की सहमति के आधार पर ग्राम बडाबास के खाता संख्या 15, 16 व 17 तथा ग्राम लोटवाडा के खाता संख्या 29 (प्रार्थना पत्र के पैरा नम्बर 01 में वर्णित भूमि) तहसील बैजूपाडा जिला दौसा में खातेदार कंवरपाल पुत्र रूपनारायण के स्थान पर कौरीलाल पुत्र रूपनारायण जाति मीना दुरस्त करने के आदेश प्रदान किये जाते है। शेष इन्द्राज जमाबंदी यथावत/बदस्तूर रहेगा। तहसीलदार बैजूपाडा को आदेश की पालना हेतु लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो व बाद तकमील दाखिल दफतर हो। निर्णय सुनाया गया। सदस्य न्यायिक अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत महवा(दौसा) अध्यक्ष सदस्य राष्ट्रीय लोक अदालत महवा(दौसा)	